संख्या– 524/XVI/06/7(34)/06

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
रेशम निदेशालय, उत्तरांचल
प्रेमनगर, देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक 20 मई,2006

विषयः– रेशम निदेशालय, उत्तरांचल के वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान संख्या–29 की आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के कियान्वयन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव,वित्त के पत्रांक–908/XXXVII(1)/2006 दिनांक 24 अप्रैल, 2006 तथा आपके पत्रांक–328/रेशम/तक0अनु0/बजट, दिनांक 27 अप्रैल 2006 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के रेशम विभाग के अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की विभिन्न योजनाओं में प्राविधानित धनराशि रूपये 19330 हजार (रूपये एक करोड़ तिरानब्बे लाख तीस हजार मात्र) के सापेक्ष संलग्न विवरणानुसार रूपये 19330 हजार (रूपये एक करोड़ तिरानब्बे लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते हैं।

1. इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।
2. उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–908/xxvll (1)/2006/दिनांक 24, अप्रैल 2006 में दिये गये निर्देशो, शासन से समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों तथा बजट मैनुअल के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया(स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
5. निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुर्नरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।
6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

..2/–

8. व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/ व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जावेगा।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित परिव्यय के अंतर्गत ही किया जावेगा।
10. लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यो के लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके केवल आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें 07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–113/वित्त अनु0–4/2006/दि018/05/06 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

संख्या–524/XVI/06/7(34)/06/तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरॉचल,ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा,देहरादून
2. वित्त अनुभाग–4,उत्तरॉचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तरांचल।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर,देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या –524/XVI/06/7(34)/06, का संलग्नक

रेशम निदेशालय उत्तरांचल की वर्ष 2006–07 की अनुदान संख्या –29 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का विवरण

(धनराशि रू0 हजार में)

क0सं0	योजना/मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	लेखानुदान के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि
	लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत (कमशः) 110–बागवानी और सब्जियों की फसलें (कमशः) 07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास (कमशः) (सामान्य योजनाऐं)			
1	0703–सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु कार्यशील पूंजी			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1000	0	1000
	योग:0703–	**1000**	**0**	**1000**
2	0705–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजनाये (90प्रतिशत केन्द्र पोषित)			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2400	0	2400
	योग: 0705–	**2400**	**0**	**2400**
3	0707–चौकी भवनों का निर्माण एवं रिनोवेशन(रा0सेक्टर)			
	09–विद्युत देय	100	0	100
	25–लघु निर्माण	2600	0	2600
	29–अनुरक्षण	5300	0	5300
	योग :0707–	**8000**	0	**8000**
4	0708–जैविक रेशम विकास (राज्य सेक्टर)			
	02–मजदूरी	250	0	250
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	200	0	200
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	150	0	150
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	400	0	400
	योग :0708–	**1000**	**0**	**1000**
5	0709–वृक्षारोपण विकास योजना			
	02–मजदूरी	150	0	150
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	300	0	300
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	350	0	350
	योग :0709–	**800**	0	**800**
6	0710–रेशम वस्त्र विकास योजना(राज्य सेक्टर)			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	900	0	900
	योग: 0710	**900**	**0**	**900**

7	0711–रेशम प्रशिक्षण योजना			
	08–कार्यालय व्यय	20	0	20
	09–विद्युत देय	20	0	20
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40	0	40
	21–छात्रवृत्तियां एवं छात्र वेतन	50	0	50
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	80	0	80
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	50	0	50
	42–अन्य व्यय	140	0	140
	44–प्रशिक्षण व्यय	130	0	130
	योग :0710–	**530**	0	**530**
8	0712–उत्तरांचल सहकारी रेशम फेडरेशन का सुदढीकरण			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	700	0	700
	योग :0712–	**700**	**0**	**700**
	योगः–राज्य सैक्टर	**15330**	**0**	**15330**
9	0791–रेशम उत्पादन प्रचार–प्रसार (जिला योजना)			
	02–मजदूरी	2200	0	2200
	08–कार्यालय व्यय	150	0	150
	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300	0	300
	19–विज्ञापन,बिक्री और विख्यापन व्यय	100	0	100
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	250	0	250
	29–अनुरक्षण	300	0	200
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	700	0	700
	योग :0791 (जिला सैक्टर)	**4000**	**0**	**4000**
	महायोग (राज्य + जिला सैक्टर)	**19330**	**0**	**19330**

(एक करोड़ तिरानब्बे लाख तीस हजार रूपये मात्र)

(किशन नाथ)
अपर सचिव।